

<p>भारत सरकार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड, कोटा - 324005, राजस्थान</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>Government of India Central Bureau of Narcotics O/o The Dy. Narcotics Commissioner Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road, Kota-324005, Rajasthan</p>
<p>STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; Fax: 2438927 E-mail: <a href="mailto:dynarcotics@bsnl.in">dynarcotics@bsnl.in</a> ; <a href="mailto:dnc-kota@cbn.nic.in">dnc-kota@cbn.nic.in</a> Website : <a href="http://www.cbn.nic.in">www.cbn.nic.in</a></p>		

F.No.I(22)-4/Adm/2018-

Dated:- 09.03.2021

निविदा

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़-1/11/111 प्रतापगढ़-1/11 इत्यादि पर माह अप्रैल 2021 के प्रथम सप्ताह से अफीम तौल का कार्य किया जायेगा। जिसमें विभिन्न जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन के सभी पार्ट्स सहित रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियम व शर्तें

1. प्रत्येक तौल केन्द्र पर 2 या 3 हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है।
2. सभी हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, कोटा/झालावाड़/ भीलवाड़ा/ चित्तौड़गढ़-1/11/111/प्रतापगढ़-1/11 में रखे हैं, जिन्हे तुरंत जांच कर मरम्मत करेंगे। इस कार्य हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09.30 बजे से 18.00 बजे तक जा सकते हैं।
3. उक्त सभी हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन की मरम्मत में लगने वाले पार्ट भी आपके द्वारा ही लगाए जायेंगे। समस्त हॉट एयर इलेक्ट्रीक ओवन को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation) तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) एवं नियमित चलाने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
4. उक्त दर के अलावा जी.एस.टी का भुगतान विभाग द्वारा अलग से देय है।
5. यदि कोई भी ओवन खराब होता है तो आपको उसे तुरन्त ठीक करवाना होगा।
6. बिल सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी के नाम बना कर इस कार्यालय में मय जिला अफीम अधिकारी की कार्य संतुष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
8. जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा, एवं कोटेशन में जी.एस.टी.की दर अलग से दर्शायें।
9. धरोहर राशि के रूप में रु. 5000/-का ड्राफ्ट अधीक्षक (कार्यपालक) कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा के नाम या नकद इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
10. निविदादाता अपनी निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा या स्थानीय रूप से कार्यरत जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.03.2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे तत्पश्चात प्राप्त निविदा को दिनांक 19.03.2021 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में इस आशय हेतु बनाई गई कमैटी के समक्ष खोला जायेगा।

10/3/21

(विकास जोशी)

उप नारकोटिक्स आयुक्त  
कोटा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेब साईट [www.cbn.nic.in](http://www.cbn.nic.in) पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़-1/11/111, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ 1/11 को इस आशय से प्रेषित है कि अपने कार्यालय में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.03.2021 तक इस कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करें।

10/3/21

अधीक्षक (कार्यपालक)  
कोटा राजस्थान